

20.11.2025

दोनों पक्षों के अधिकारों उपस्थित। बाकिल विधायी जवान  
पेश नहीं कर सिद्धा बहस करना चाहते हैं। जो  
विधायीका जवान बंद किया जाकर, उभयपक्ष अधिकार  
ओं की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया, फ़ातली  
का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया की मूलवाद  
जवाबदारी घोषणा का आदेश जारी किया है। जो कि  
मूलवाद में आदेश सबूतों के आधार पर तय किया जाएगा  
की प्राप्ति। प्राप्ति वादीनी राहत प्राप्त करने की इच्छा  
है कि नहीं। लेकिन हरतगत पुकरा से जारी रखता  
आदेश को सि यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता  
है।

सहायक सुलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

वर्ष  
नाम जो इस  
तारीख में जारी

129/24

हुक्म या कार्यवाही अथ इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुए

पक्षकारों के मध्य विवाद आगे नहीं बढ़े। ऐसी शरत  
में पार्थना पर स्वीकार किया जाना <sup>उचित</sup> सुचित प्रतीत होता है।  
निहाय पार्थनी का आवेदन लीकर कि।  
जिस न्यायमय शपथ के अधिन कि।  
30.7.2024 को शपथ के निमित्त एक कानून  
विधा प्राप्त है।

आपसी काम सुधार के लिए दायरे  
द्वारा है।

~~सहायक कलक्टर~~  
सहायक कलक्टर  
बालोतरा

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा